

**चैकलिस्ट दिनांक 19.02.2020 के अनुसार भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट पत्र दिनांक 19.10.2020 के सन्दर्भ में**

1	जिले का नाम	पाली
2	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	श्री श्याम गौशाला प्रतापपुरा राबडियांवास
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	संलग्न
4	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	संलग्न
5	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण, लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	गौ शाला बनी हुई है
6	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	हाँ पिछले 14 वर्षों से संचालित है
7	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग को अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	आवंटन किया जाना उचित है
8	संस्था द्वारा नाॅमर्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	नोमर्स से अधिक नहि
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो विवरण	नहीं
10	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा ? व क्या लाभ मिलेगा ?	पशुओं का पालन हो रहा है
11	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम, ख.नं., किस्म क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शे के	ग्राम राबडियांवास के ख.नं. 247 रकबा 170 गै.मु.गोचर
12	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	31138/- रूपये प्रति बिघा
13	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	नि:शुल्क
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	155690 /-
15	चाही गई भूमि की वर्तमान डीएलसी दर	31138/- रूपये प्रति बिघा
16	क्या प्रश्रगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	स्थगन आदेश नहि
17	भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	भूमि केए उपयोग गौ शाला के रुप में हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र
18	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	गौ शाला का निर्माण हो चुका है
19	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो विवरण।	नहीं
20	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	नहीं
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न है
22	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है ? यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	संलग्न है
23	संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैराफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है ?	नहीं
24	भूमि नगरीय क्षेत्र की होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
25	यदि मास्टर प्लान बन चुका है, तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है ?	नहीं
26	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है ?	गौचर भूमि है
27	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है ?	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1957
28	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वेब साईट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण	
29	यदि किसी प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की किस्म चारागाह है तो ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 19.09.2019 की पालना सुनिश्चित कर विवरण अंकित करें	प्रस्तावित भूमि गौचर भूमि है इसके लिये क्षति पूर्ति हेतु प्रस्ताव संलग्न है प्रस्तावित भूमि इसी ग्राम में गौचर भूमि से चिप्ति हुई भूमि है

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्संबंधी संतुष्टी कर ली गई एवं तदनुसार उक्त प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

<b>हल्का पटवार</b>	<b>भु.अ.निरीक्षक</b>	<b>तहसीलदार, जैतारन</b>	<b>प्रभारी अधिकारी, जिला कलेक्टर,पाली (राज.)</b>
--------------------	----------------------	-----------------------------	--